भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5043
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः किसान उत्पादक संगठन
5043. श्री रामप्रीत मंडलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) "10,000 कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की योजना" के अंतर्गत अब तक गठित तथा कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की राज्यवार संख्या क्या है;
(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत नए एफपीओ के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;
(ग) यदि हां, तो शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित नए एफपीओ की राज्यवार संख्या कितनी है और उनके चयन के मानदंड क्या हैं;
(घ) क्या सरकारी निर्देश के अनुसार एक ब्लॉक में एक से अधिक एफपीओ का गठन किया जा सकता है;
(ङ) यदि हां, तो इसके चयन के लिए मानदंड क्या हैं;
(च) इस योजना के अंतर्गत कितने ब्लॉकों में एक से अधिक एफपीओ को मान्यता दी गई है; और
(छ) सरकार द्वारा इन एफपीओ के प्रभावी कार्यान्वयन तथा स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना एफ.पी.ओ. को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत 10,000 एफ.पी.ओ. पंजीकृत किए गए हैं। पंजीकृत एफ.पी.ओ. की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या **अनुलग्नक** पर दी गई है। वर्तमान में, इस योजना के तहत नए एफ.पी.ओ. के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च): 10,000 एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन की योजना के तहत, 2343 ब्लॉकों में एक से अधिक एफ.पी.ओ. स्थापित किए गए हैं। इसमें विशेष श्रेणी के एफ.पी.ओ. (जैसे महिलाओं के लिए, शहद और बांस जैसे कमोडिटी विशिष्ट एफ.पी.ओ., प्राकृतिक खेती एफ.पी.ओ. आदि) शामिल हैं।

(छ): एफपीओ की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए जा रहे हैं - प्रत्येक एफ.पी.ओ. को 3 वर्षों में 18 लाख रुपये की एफ.पी.ओ. प्रबंधन लागत प्रदान की जाती है, उनके वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक एफ.पी.ओ. को 15 लाख रुपये तक का इक्विटी अनुदान (प्रति किसान 2000 रुपये के अंशदान की तुलना में), सभी एफ.पी.ओ. को पात्र ऋण संस्थानों से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी सुविधा उपलब्ध है। एफ.पी.ओ. का प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग सामुदायिक व्यवसाय संगठनों (सी.बी.बी.ओ.) द्वारा किया जाता है। वित्तीय सहायता, सब्सिडी और मार्केट लिंकेज तक पहुंच के लिए एफ.पी.ओ. को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया है। एफ.पी.ओ. के उत्पादों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित बाजार पहुंच के लिए एफ.पी.ओ. को सहायता दी जाती है। एफ.पी.ओ. को इनपुट बिजनेस के लिए विभिन्न इनपुट लाइसेंस और डीलरशिप जैसे बीज, कीटनाशक और उर्वरक का सहयोग दिया जाता है और सदस्य किसानों को भी लाभ मिलता है। मूल्य संवर्धन और प्रोसेसिंग सुविधाओं के लिए यूनिट्स स्थापित करने हेतु एफ.पी.ओ. को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक

10,000 एफपीओ योजना के तहत पंजीकृत एफ.पी.ओ. की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पंजीकृत एफ.पी.ओ.
1	अंडमान और निकोबार	7
2	आंध्र प्रदेश	714
3	अरुणाचल प्रदेश	171
4	असम	429
5	बिहार	696
6	छत्तीसगढ़	232
7	दादरा नगर हवेली	2
8	गोवा	8
9	गुजरात	426
10	हरियाणा	179
11	हिमाचल प्रदेश	180
12	जम्मू एवं कश्मीर	330
13	झारखंड	367
14	कर्नाटक	351
15	केरल	176
16	लद्दाख	23
17	लक्षद्वीप	2
18	मध्य प्रदेश	642
19	महाराष्ट्र	589
20	मणिपुर	78
21	मेघालय	67
22	मिजोरम	49
23	नागालैंड	88
24	ओडिशा	471
25	पुदुचेरी	6
26	पंजाब	152
27	राजस्थान	589
28	सिक्किम	15
29	तमिलनाडु	465
30	तेलंगाना	617
31	त्रिपुरा	59
32	उत्तर प्रदेश	1,275
33	उत्तराखंड	162
34	पश्चिम बंगाल	383
	कुल योग	**10,000**

*****